

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 / सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-7036,
दिनांक-29.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी श्री रामाशंकर, कोटि क्रमांक-
944/11 की सेवा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग को सौंपी गई है।

2. उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री रामाशंकर को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री रामाशंकर को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विनय कुमार राय)

सरकार के उप सचिव

पटना दिनांक- 8/6/18

ई0-मेल ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013

3854

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/श्री रामाशंकर, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

le
-10

सरकार के उप सचिव